संख्या–I/436935/ XXVII(7)E-81315/2026

प्रेषक,

गंगा प्रसाद,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक05 ~~सितम्बर,~~ अक्टूबर, 2026

विषयः–पर्वतीय विकास भत्ता के स्थान पर उत्तराखण्ड विकास भत्ता किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–744/ XXVII(7)27(20)/2013, दिनांक 10.10.2013 के द्वारा पूर्व की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य पर्वतीय विकास भत्ता के स्थान पर दिनांक 01.10.2013 से उत्तराखण्ड विकास भत्ता शासनादेश दिनांक 13.02.2009 में पर्वतीय विकास भत्ता हेतु निर्धारित दर से पर्वतीय एवं मैदानी दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से अनुमन्य किया गया था। तत्पश्चात वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–20 /XXVII(7)/18–50 (14)/2017, दिनांक 23 जनवरी, 2019 के द्वारा अन्य भत्तों के साथ–साथ सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में लागू पुनरीक्षित व्यवस्था में पर्वतीय विकास भत्ता को यथावत रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– उपरोक्त के संबंध में व्याप्त अस्पष्टता की स्थिति के निराकरण के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/339692/XXVII(7) /2025/E-81315/2025, दिनांक 10.11.2025 को निरस्त करते हुए वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–20 /XXVII(7)/18–50 (14)/2017, दिनांक 23 जनवरी, 2019 के क्रमांक–1 पर अंकित "पर्वतीय विकास भत्ता" के स्थान पर "उत्तराखण्ड विकास भत्ता" संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उत्तराखण्ड विकास भत्ते का भुगतान शासनादेश संख्या–39/XXVII(7) प0वि0भ0/2009 दिनांक 13.02.2009 में उल्लिखित छठे वेतनमान की अपुनरीक्षित दरों के आधार पर किया जायेगा एवं शासनादेश सं0–744

Scanned with OKEN Scanner

/XXVII(7)27(20)/2013, दिनांक 10.10.2013 के अनुसार मैदानी एवं पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों को समान रूप से देय होगा।

4– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–20 /XXVII(7) /18–50 (14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

Digitally signed by Ganga Prasad
Date: 30-09-2026 12:57:15

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्या–1/436935/ XXVII(7)/ E-81315/2026 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
8. निदेशक,पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

Digitally signed by Sudhir Kumar Chaudhary
Date: 05-10-2026 15:30:12

(सुधीर कुमार चौधरी)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner